

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
भू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना
अ धि धो ष णा

संख्या

डी०एल०ए० शिवहर

/रा० पटना दिनांक-

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत हुआ है कि ग्राम बखार चंडिहा, थाना नं०-95 राजस्व थाना पुरनहिया, पपरगना बाबरा चम्पारण, अंचल-पुरनहिया, थाना-पुरनहिया, जिला-शिवहर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् सर्मक पथ निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है, कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम- बखार चंडिहा, के अंतर्गत 0.12550 एकड़ भूमि अपेक्षित है, जो मानक माप के कर्मादेश बी०/क०/धूर है, जो 0.12.550 एकड़ के बराबर होता है, जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित है:-

खेसरा नं० 3551 अंश 3552 अंश 3563 अंश 3575 अंश 3574 अंश 3564 अंश 3573 अंश 3579 अंश 3580 अंश
थाना नं०-95 बखार चंडिहा का चौहद्दी निम्न प्रकार है।

उत्तर खेसरा-3580,3583

दक्षिण खेसरा- मेन रोड

पूरब-3552,3563,3564,3573

पश्चिम-3579,3574,3575,3551

यह घोषणा अधिनियम 1,1894 धारा 6 के उपबंधों के अधीन यथा बिहार अधिनियम 11961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्सा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, शिवहर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
शिवहर।

अपर समाहर्ता
शिवहर।

समाहर्ता
शिवहर।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक:-

/डी०एल०एस०,

शिवहर सं० 1548/रा० दिनांक:- 19-06-13

प्रतिलिपि:-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सी०डी० के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ। इसकी प्रकाशित प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, शिवहर को उपलब्ध उपलब्ध कराया जाय।

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट, शिवहर की अधिसूचना की दो प्रतियाँ सहित गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को 10 (दस) अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, शिवहर को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-समाहर्ता, शिवहर/अपर समाहर्ता, शिवहर/ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
शिवहर।

अपर समाहर्ता
शिवहर।

समाहर्ता
शिवहर।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

सरकार के अवर सचिव,